भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3430

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

2 चैत्र, 1944 (शक)

आधार बायोमिट्रिक्स का अवैध उपयोग

3430. श्री एम. सेल्वराज:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में आधार बायोमिट्रिक्स के अवैध उपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत प्रमाणीकरण और उसमें प्रतिरूपण करने के प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कार्यप्रणाली और उससे हुई आर्थिक क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): कुछ मामलों में एक अधिकृत ऑपरेटर/कार्मिक की एक कृत्रिम उंगली (गम्मी फिंगर) का इस्तेमाल करके प्रमाणीकरण प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच का प्रयास करने की सूचना मिली है। ऐसे सभी मामलों में अनधिकृत प्रमाणीकरण मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। यूआईडीएआई में इस प्रकार के मामलों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने की एक सुदृढ़ और कठोर प्रक्रिया उपलब्ध है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इनकी सूचना दी जाए।

एनपीसीआई के पास पिछले 3 वर्षों से सदस्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के लिए उपलब्ध डेटा इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	**विशिष्ट ग्राहकों की संख्या**	**लेन-देन की संख्या**	**राशि (लाख)**
वित्तीय वर्ष-19-20	497	1370	94
वित्तीय वर्ष-20-	1200	3755	268

21			
वित्तीय वर्ष 21-22	2391	8739	648
कुल योग	**4088**	**13864**	**1010**

(घ): यूआईडीएआई यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार प्रणाली मजबूत और अत्यधिक सुरक्षित है, विभिन्न तरीकों/लेखापरीक्षा/समर्थन का उपयोग करता है । समय-समय पर इसकी संपूर्ण प्रमाणीकरण प्रणाली की सुरक्षा की समीक्षा की जाती है।

****